बिहार सरकार
निगरानी विभाग,

–अधिसूचना–

संख्या–नि०वि० / स्था०वि०:–527 / 2008 पटना, दिनांक.....

बिहार विशेष न्यायालय, अधिनियम, 2009 की धारा–24 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ** :–
   (1) यह नियमावली, बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) नियमावली, 2024 कही जा सकेगी।
   (2) यह दिनांक–26.07.2018 से प्रवृत्त होगी।

2. (1) **बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 के नियम 2 के उप नियम(1) के खण्ड (क) का संशोधन** :–

   उक्त नियमावली के नियम (2) के उप नियम (1) के खण्ड (क) के प्रावधान निम्नांकित शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

   "अधिनियम से अभिप्रेत है बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 एवं बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022"।

   (2) **बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 के नियम 2 के उप नियम(1) के खण्ड (ख) का संशोधन** :–

   उक्त नियमावली के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के प्रावधान निम्नांकित शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

   "न्यायालय से अभिप्रेत है, बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 अथवा बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अध्याय II की धारा 3(1) के अधीन स्थापित न्यायालय"।

3. **बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 के नियम 11(छ) में संशोधन** :–

   उक्त नियमावली के नियम 11(छ) का प्रावधान निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

   "यदि अपचारी लोक सेवक **अथवा अन्य प्रभावित व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा संपत्ति के मूल्यांकन को चुनौती देने का प्रस्ताव किया जाता है तो उन्हें बिहार विशेष नियमावली, 2010 के नियम 11(ख) एवं नियम 11(ग) में नियत अवधि के अंतर्गत अपनी आपत्ति दाखिल करनी होगी।** तत्पश्चात् प्राधिकृत पदाधिकारी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की ऐसी एजेन्सी या ऐसे किसी अन्य पदाधिकारी या तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्ति की सहायता ले सकेगा जिसे वह योग्य और उचित समझे।"

4. (1) **बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 के नियम 7 के उप नियम (1) में विहित प्रपत्र सख्या–I में संशोधन** :–

   उक्त नियमावली के नियम 7 के उप नियम (1) में विहित प्रपत्र सख्या–I को संलग्न परिशिष्ट–1 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. **बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 के नियम 14 के उप नियम (3) में विहित प्रपत्र संख्या–III में संशोधन :–**

उक्त नियमावली के नियम 14 के उप नियम (3) में विहित प्रपत्र संख्या– III को संलग्न परिशिष्ट–2 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव,
निगरानी विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– नि०वि०स्था०–विविध–527/2008........................**पटना, दिनांक**..................

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना एवं ई–गजट, वित्त विभाग बिहार, पटना को (सी०डी० सहित) बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव,
निगरानी विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– नि०वि०स्था०–विविध–527/2008....4435 (अनु.)....पटना, दिनांक 11/09/24

प्रतिलिपि :– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/पुलिस महानिदेशक, बिहार/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जिला एवं सत्र न्यायाधीश/महाधिवक्ता, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार/राज्यपाल सचिवालय, बिहार/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार/अपर महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार/अभियंता प्रमुख, तकनीकी परीक्षक कोषांग, बिहार/अपर महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/9/2024

सरकार के प्रधान सचिव,
निगरानी विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–1

प्रपत्र संख्या–I
(देखें नियम 7)

घोषणा

चूंकि यह अभिकथित किया गया कि श्री ..... (नाम और पता) बिहार राज्य में ..... कार्यालय (कार्यालय के नाम का उल्लेख करें) में पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उप धारा (1) के खंड (ङ) **अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा 13 की उप धारा (1) के खंड (ख)** के अधीन अपराध किया और मामले की जाँच निगरानी केस सं० ..... में की गई,

और चूंकि अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर राज्य सरकार की राय है कि ..... (अभियुक्त का नाम), जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अपने आय के ज्ञात स्रोत से अननुपातिक संपत्ति संचित किया है, पर प्रथमदृष्टया केस बनता है;

और चूंकि सरकार को यह आवश्यक और समीचीन प्रतीत होता है कि उक्त अपराधी पर विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009/**बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022** की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाय;

इसलिए, अब विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009/**बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022** की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध का निपटारा विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009/**बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022** के अधीन किया जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के प्रधान सचिव,
निगरानी विभाग।

परिशिष्ट–2

प्रपत्र संख्या–III

{देखें नियम–14(3)}

जब्ती मामलों का रजिष्ट्रीकरण

1. आवेदन भरने की तारीख
2. आवेदन का क्रमांक
3. अपचारी का नाम
4. अपचारी का पता
5. आय के ज्ञात स्रोतों की विशिष्टियों
6. संचित आस्तियों के प्राक्कलित मूल्य की विशिष्टियाँ

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के प्रधान सचिव,
निगरानी विभाग।

Bihar Government
Vigilance Department

Notification

No- Ni.Vi./Stha.Vi.-527/2008..... /Patna, dated.....

In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Bihar Special Courts Act, 2009 (Act no.5 of 2010), the Governor of Bihar do hereby make the following rules to amend the Bihar Special Court Rules, 2010.

1. **Short title and commencement:-**
   (1) These Rules may be called the Bihar Special Courts (Amendment) Rules, 2024.
   (2) It shall come into force from 26-07-2018.

2.(1) **Amendment in section (a) of sub rule (1) of Rule 2 of the Bihar Special Court Rules, 2010:-**
The provision of the section (a) of sub rule (1) of Rule 2 of the said rule shall be substituted by the following words:-
(a) "Act" means the Bihar Special Courts Act 2009 & **Bihar Special Courts (Amendment) Act,2022."**

(2) **Amendment in Rule section (b) of sub rule (1) of Rule 2 of the Bihar Special Court Rules, 2010:-**
The provision of the section (b) of sub rule (1) of Rule 2 of the said rule shall be substituted by the following words:-
(b) "Court" means a Special Court established under sec-3(1) of Chapter II of the Bihar Special Courts Act, 2009 **& Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022."**

3. **Amendment in Rule 11(g) of Bihar Special Courts Rules, 2010:-**
Provision of Rule 11(g) of the said rule shall be substituted by the following:-
"If the delinquent public servant **or other affected person/persons proposes to contest the valuation of the property, then he/they shall file objections within the period stipulated in Rule 11(b) & Rule 11(c) of the Bihar Special Courts Rules, 2010. Thereafter,** the Authorised Officer may take assistance of such State Government agency or Central Government agency or any other officer or person technically qualified as he may deem fit and proper."

4. **Amendment in Form No. I prescribed in Sub rule (1) of Rule 7 of Bihar Special Courts Rules, 2010:-**
Form No. I prescribed in Sub rule (1) of Rule 7 of the said rule shall be substituted by the **Appendix-1 attached.**

5. **Amendment in Form No. III prescribed in Sub rule (3) of Rule 14 of Bihar Special Court Rules, 2010:-**
Form No. 3 prescribed in Sub rule (3) of rule 14 of the said Rules shall be substituted by the **Appendix-2 attached.**

6. Rest of the provisions of the Bihar Special Courts Rules 2010 will remain unchanged.

By order of the Governor of Bihar,

sd/-
Principal Secretary to the Government
Vigilance Department, Bihar, Patna.

Memo No.- Ni.Vi./Stha.Vi.-527/2008..... /Patna, Date.....

Copy To:- Superintendent, Government Printing Press, Gulzarbagh, Patna & to e-Gazette Section, Finance Department, Bihar, Patna (With C.D.) for publication in the next issue of Gagette.

sd/-
Principal Secretary to the Government
Vigilance Department, Bihar, Patna.

Memo No.- Ni.Vi./Stha.Vi.-527/2008..4436(6no) /Patna, Date..11/09/24

Copy To:-All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary/Director General of Police, Bihar/All Divisional Commissioner/All District Magistrate/All Reginal Inspector General of Police/Advocate General Bihar/All Supritendent of Police/All District & Session Judge Bihar/Governer Secretariat/Chief Minister Secretariat/Chief Secretary Bihar/Director General, Vigilance Investigation Bureau, Bihar/Additional Director General, Special Vigilance Unit, Bihar/Engineer in Chief, Technical Examiner Cell, Bihar/Additional Director General, Economic Offence Unit, Bihar, Patna for information and necessary action.

11/9/2024

Principal Secretary to the Government
Vigilance Department, Bihar, Patna.

Appendix-1

Form No. I
(See Rule 7)

DECLARATION

WHEREAS, It was alleged that Shri.....(name and address) while Holding.....Office (indicate name of /Public Office) in the State of Bihar committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 **or clause (b) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Amended Act, 2018)** and that the matter was investigated in Vigilance Case No.....of,

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of the (name of the accused) who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means;

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried by the Special Court established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009/**Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022;**

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the Special Courts Act, 2009/ **Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022;**

By order of the Governor of Bihar,

Principal Secretary to Government
Vigilance Department

Appendix-2

Form No. III

[See Rule 14(3)/

REGISTRATION OF CONFISCATION CASES

1. Date of filing application.
2. Sl. No. of application.
3. Name of delinquent.
4. Address of the delinquent.
5. Particular of known sources of income.
6. Particular of accumulation of assets estimated value.

By order of the Governor of Bihar,

Principal Secretary of Government,
Vigilance department.